न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 27/2017 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

कालूराम कोली, ग्राम पोस्ट खवारानीजी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते * जयपुर *

निर्णय दिनांकः 09.11.2017

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को दिनांक 13.07.2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, आवेदन पत्र में अंकित अनुसार सूचना उपलब्ध कराने का निवेदन किया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 06.10.2017 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। किन्तु सूचना प्राप्त नही हुई। अपीलांट स्वयं उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी प्राप्त नही हुंई है।

फलस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रतिवेदन में अंकित वांछित सूचना/रिकार्ड यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है तो शीध्र निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)